पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वॉ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय,अमर शहीद पथ , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ – 226002 :e- mail : tshq@nic.in

पत्र सं0: टीएस-सीसीटीएनएस-08/2013 (20) दिनांक: फरवरी 07 ,2023

जनपदीय कॉर्डिनेटर,
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए,
समस्त जनपद।

विषयः सीसीटीएनएस का डाटा Same Day सिंक करने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि सीसीटीएनएस के Performance के संबंध में 28 फॉर्म की सूचना प्रत्येक माह NCRB को प्रेषित की जाती है, जिसे 'प्रगति डैशबोर्ड' के नाम से जाना जाता है, जिसकी केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग की जाती है। NCRB के द्वारा सभी राज्यों से 28 फॉर्म की सूचना प्राप्त करके प्रगति डैशबोर्ड के रूप में Performance प्रेषित की जाती है। उक्त प्रगति डैशबोर्ड के फॉर्म-10 में डाटा सिंक से संबंधित डाटा होता है, जिसमें NCRB के द्वारा सीसीटीएनएस के सभी डाटा को Same Day सिंक में कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि NCRB की रैंकिंग की व्यवस्था के अनुसार Same Day में डाटा सिंक होने पर 100% weightage marks दिये जाते हैं, तथा 2 से 7 दिवस तक डाटा सिंक होने पर 50% weightage marks दिये जाते हैं। उसके पश्चात डाटा सिंक होने पर कोई weightage marks नहीं दिये जाते हैं।

दिनांक 25.11.2022 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत हुई स्टेट एपेक्स कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त थानों पर Same Day में Data Synchronisation का कार्य 100% प्रतिशत किया जाये तथा यदि कर्मचारियों की लापरवाही पायी जाती है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करें।

उपरोक्त के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें महोदय के द्वारा प्रत्येक सोमवार को प्रदेश के समस्त थानों के Data Sync की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

अतः समस्त जनपदीय कॉर्डिनेटर को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदों में जनपदीय थानों के साथ-साथ जनपद में स्थापित इकाईयों के थानों का डाटा तत्समय (Same Day) में सिंक करायें तथा विशेष रूप से प्रत्येक शुक्रवार को इकाई के थानों को निश्चित रूप से सिंक कराना सुनिश्चित करें।

7/2/2023

(शहाब रशीद खाँ)
पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक,
उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,
लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **पुलिस महानिदेशक –** विशेष अनुसंधान दल (S.I.T), पॉवर कार्पोरेशन।
2. **अपर पुलिस महानिदेशक –** साईबर क्राइम, रेलवे, आर्थिक अपराध शाखा (EOW), आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS)।
3. **अपर पुलिस महानिदेशक –** तकनीकी सेवायें मुख्यालय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **पुलिस आयुक्त, जनपद –** लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद।
5. **अपर पुलिस महानिदेशक –** समस्त जोन।
6. **पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक –** समस्त परिक्षेत्र।
7. **पुलिस उपमहानिरीक्षक –** उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
8. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक –** समस्त जनपद।
9. **पुलिस अधीक्षक –** समस्त जीआरपी।